<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>दिनांकः 23.07.2019</u>

<u>थाना जहाँगीराबाद पुलिस की बाईक सवार दो बदमाशो से हुई मुठभेड, मुठभेड़ में अवैध शस्त्र फैक्ट्री चलाने वाला बदमाश धर्मपाल गोली लगने से हुआ घायल, अवैध शस्त्रो का जखीरा, शस्त्र बनाने के फैक्ट्री उपकरण 01 मोटर साईकिल बरामद</u>

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक देहात के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी अनूपशहर के निकट पर्यवेक्षण मे विगत रात्रि मे प्रभारी निरीक्षक जहांगीराबाद श्री नरेश कुमार शर्मा मय पुलिस फोर्स के जहांगीराबाद अमरगढ रोड कल्याणपुर तिराहे पर बैरियर लगाकर चैकिंग कर रहे थे। कुछ देर बाद कल्याणपुर की तरफ से एक मोटर साईकिल आती दिखाई दी जिसको टॉर्च की रोशनी दिखाकर रूकने का इशारा किया गया तो मोटर साईकिल पर पीछे बैठे व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम पर फायर करते हुए मोटर साईकिल से जहांगीराबाद की ओर भागने लगे, इसकी सूचना प्रभारी निरीक्षक जहांगीराबाद द्वारा जरिए आरटी सैट कन्ट्रोल रूम की दी गयी। पुलिस टीम द्वारा बदमाशो का पीछा किया गया तो बदमाशो द्वारा मोटर साईकिल ग्राम रोसला की तरफ तेजी से मोडकर भागने लगे कि रोसला गेट से कुछ दूरी पर रेत मे उनकी मोटर साईकिल फिसलकर गिर गयी। बदमाशो द्वारा अपने आपको घिरता देख पुलिस टीम पर पुनः फायर किए गये, जिस पर पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायर किए गए, जिसमे एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया तथा उसका एक साथी अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया। बदमाश को घायलावस्था में समय करीब रात्रि 01.45 बजे हिरासत में लेकर उपचार हेतु सरकारी अस्पताल भेजा गया। उक्त पकड़े गये बदमाश के कब्जे से एक मोटर साईकिल एवं हाथ से एक तमंचा 315 बोर व पीठ पर लदे बैग से 05 तमंचे मय कारतूस बरामद हुए हैं।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-</u>

1. धर्मपाल पुत्र खचेडू निवासी ग्राम सकरपुर थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर।

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

1. 06 तमंचे 315 बोर मय 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस
2. 03 अधबने तमंचे
3. अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण
4. 01 मोटर साईकिल होण्डा बिना नम्बर

गिरफ्तार अभियुक्त धर्मपाल द्वारा अपने फरार साथी का नाम हरवीर उर्फ भूरा पुत्र सुरेश निवासी गहना गोवर्धनपुर थाना जहाँगीराबाद बुलन्दशहर बताया। अभियुक्त धर्मपाल ने पूछताछ पर बताया कि वह अवैध शस्त्र बनाने का कार्य करता है तथा अपने साथी के साथ अवैध शस्त्र बेचने जा रहा था। अभियुक्त की निशादेही पर उसके घर से अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व 03 अधबने अवैध शस्त्र भी बरामद किए गये है। अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जिसके विरूद्ध विभिन्न थानो पर निम्न अभियोग पंजीकृत है-

<u>अभियुक्त धर्मपाल का आपराधिक इतिहास-</u>

1- मु0अ0सं0- 212/87 धारा 7/25 आर्म्स एक्ट थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर।
2- मु0अ0सं0- 83/94 धारा 457/380/411 भादवि थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर।
3- मु0अ0सं0-48/95 धारा 324/504/506 भादवि थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर।
4- मु0अ0सं0- 290/10 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना जहाँगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।
5- मु0अ0सं0- 320/19 धारा 307 भादवि थाना जहाँगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।
6- मु0अ0सं0- 321/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जहाँगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।
7- मु0अ0सं0- 322/19 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना जहाँगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।
8- मु0अ0सं0- 323/19 धारा 411/414 भादवि थाना जहाँगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना जहांगीराबाद पर मु0अ0सं0-320/19 धारा 307 भादवि(पुलिस मुठभेड), मु0अ0सं0-321/19 धारा 3/25 शस्त्र अधि0, मु0अ0सं0-322/19 धारा 5/25 शस्त्र अधि0 व मु0अ0सं0-323/19 धारा 411/414 भादवि पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

1. श्री नरेश कुमार शर्मा प्रभारी निरीक्षक जहांगीराबाद
2. उ0नि0 नवीन भाटी, उ0नि0 विनोद सिंह
3. का0 वीरेन्द्र सिंह, का0 अरूण कुमार, का0 आदेश कुमार, का0 विकास कुमार, का0 हरेन्द्र सिंह, का0चालक अरविन्द कुमार